छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 3400 / पंग्राविवि / NRLM / LH / नया रायपुर, दिनांक 11 / 01 / 2017

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–समस्त
(छत्तीसगढ़)

विषय :– मत्स्यपालन हेतु गांवों में उपलब्ध तालाबों को महिला स्व–सहायता समूहों को आबंटन करने विषयक्।

***

विषयांतर्गत प्रदेश में लगभग 35 हजार स्व–सहायता समूहों का गठन छत्तीसगढ़ **"राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन"** के द्वारा किया गया है। महिला स्व सहायता समूहों के लिए मत्स्यपालन एक बेहतर आजीविका का स्त्रोत है। राज्य में **"बिहान"** के अंतर्गत जिला मिशन इकाईयों के द्वारा महिला स्व–सहायता समूहों के लिए मत्स्यपालन हेतु तालाबों का चिन्हाकन किया जा रहा है, जिसमें अभी भी ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत स्तर पर तालाबों का आबंटन किया जाना शेष है।

2/ छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (मछलीपालन) विभाग के आदेश क्र. एफ–11/2/36/2002/म./रायपुर दिनांक 24.03.2003 के संदर्भ में क्रियान्वयन हेतु निर्देश/प्रक्रिया जारी की गई है। क्रियान्वयन हेतु नीति निर्देश/प्रक्रिया की कंडिका–02 पट्टा आबंटन करने हेतु प्राथमिकता क्रम की कंडिका 2.5 में **"स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार" (SGSY)** अंतर्गत निर्मित तालाबों को स्व–सहायता समूह को ही पट्टे पर दिया जाने का प्रावधान है।

अतः मत्स्यपालन आधारित आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश से ग्राम पंचायतों में **"स्वर्ग जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" (SGSY)** अंतर्गत निर्मित तालाबों को **'बिहान'** योजनांतर्गत गठित उपयुक्त महिला स्व–सहायता समूहों, को ही पट्टा पर आबंटित किया जावें। चयनित स्व–सहायता समूहों को संबंधित विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं अभिसरण के द्वारा, उन्हें मत्स्यबीज, जाल, या व्यवसायिक जरूरतों के अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर, मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर को अवगत करावें ।

(एम.के.राउत)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक 3401 / पंग्राविवि / NRLM / LH / नया रायपुर, दिनांक 11 / 01 / 2017

प्रतिलिपिः–

1. **मिशन संचालक,** राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,** जिला पंचायत–समस्त, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग